POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 05

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मई, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! जब भी देश में चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा जनता से एक से बढ़कर एक चुनावी वादे किए जाते हैं। उनके द्वारा जारी घोषणा-पत्र के कई वादे तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें पांच साल में पूरा करना असंभव होता है। तब चुनाव सुधारों की बात भी उठने लगती है। पारदर्शी, जवाबदेह और सुशासन की बातें दुहराई जाती हैं। लेकिन चुनाव के बाद सब कही-सुनी बात बन कर रह जाती है। जनता इसके बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगती है।

पिछले दिनों देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे.एस.खेहर ने आमजनता के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के चुनावी वादे महज कागज का टुकड़ा बन कर रह जाते हैं, राजनीतिक दलों को उनके किए गए वादों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

हमारे राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की पैरवी करते हुए चुनाव सुधारों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव सुधारों से ही देश की जनता को सही मायने में न्याय मिल पाएगा और संवैधानिक मूल्यों और उसके आदर्शों की रक्षा हो सकेगी।

विड़म्बना यह है, राजनीतिक दल भी इसे न्यायोचित तो मानते हैं। लेकिन उनमें इसके लिए इच्छा शक्ति का अभाव साफ झलकता है। इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए कई बार संसद में प्रश्न भी उठते रहे हैं, पर वे नकार दिए जाते हैं। हालांकि इस बार बजट में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने की बात कही गई है, परन्तु यह महज एक छोटी सी शुरुआत है।

राजनीतिक जमात पर जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव आयोग और जनता को भी संगठित दबाव बनाना होगा। राजनीतिक दल भी अपनी जिम्मेदारी को समझें।

अब यातायात नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी !

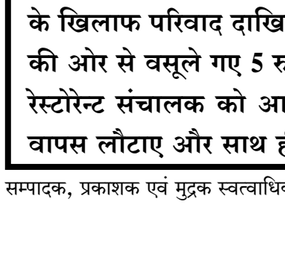

मोटर वाहन कानून में संशोधन का बिल लोकसभा में पास हो गया है। इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है। सड़क हादसे में मौत पर 10 लाख रुपए तक का मुआवजा तथा गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुआवजा तय किया गया है। कानून में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन चोरी पर लगाम लगाने जैसे कई प्रावधान भी शामिल हैं।

लाइसेंस बनवाने के लिए लाइसेंस दफ्तर जाना जरूरी होगा। इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन को आधार से जोड़ा जाएगा। शराब पीकर, बिना सीट बेल्ट बांधे या फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना अथवा बिना हेलमेट पहने वाहन चलाना, लाल लाइट की परवाह नहीं करना व नाबालिगों को गाड़ी देना अब काफी महंगा पड़ेगा।

यदि नाबालिग से गाड़ी चलाते समय दुर्घटना होती है तो गाडी सौंपने वाले पैरेंटस को 25 हजार रुपए तक जुर्माना या तीन साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसी तरह हेलमेट नहीं लगाने पर 2500 रुपए, लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

भारी पड़ा बिस्कुट के पांच रुपए ज्यादा वसूलना

बिस्कुट के पैकेट पर 10 रुपए कीमत लिखी हुई थी। लेकिन अजमेर रोड स्थित एक रेस्टोरेन्ट संचालक ने ग्राहक से उसके 15 रुपए वसूल लिए। उसे बिस्कुट के पैकेट के 5 रुपए ज्यादा वसूलना काफी महंगा साबित हुआ। अब उसे ग्राहक सुधीर सैनी को ज्यादा वसूले 5 रुपए के साथ 10 हजार रुपए का हर्जाना भी देना होगा।

मामले के अनुसार 10 दिसंबर 2012 को सुधीर सैनी ने अजमेर रोड रामनगर स्थित रेस्टोरेन्ट से बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा था। पैकेट पर उसकी कीमत 10 रुपए लिखी हुई थी, फिर भी संचालक ने उनसे 15 रुपए वसूल लिए। इसपर उनकी रेस्टोरेन्ट संचालक से काफी बहस भी हुई लेकिन वह नहीं माना। आखिर उन्होंने उपभोक्ता मंच जयपुर शहर तृतीय में रेस्टोरेन्ट संचालक के खिलाफ परिवाद दाखिल कर दिया। उपभोक्ता मंच ने सुनवाई करते हुए रेस्टोरेन्ट संचालक की ओर से वसूले गए 5 रुपए ज्यादा को अनुचित व्यापार प्रथा और सेवा दोष माना। मंच ने रेस्टोरेन्ट संचालक को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता सुधीर सैनी से ज्यादा वसूले 5 रुपए वापस लौटाए और साथ ही उन्हें 10 हजार रुपए अलग से बतौर हर्जाना भी अदा करें।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से किया सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार वर्ष 2015 के लिए यह पुरस्कार 'मोटर वाहन (संशोधन) बिल 2016' पर आयोजित पैरवी बैठक के दौरान मुख्य अतिथि बी.एल. सोनी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने डेलीन्यूज के पत्रकार गिर्राज शर्मा को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया।

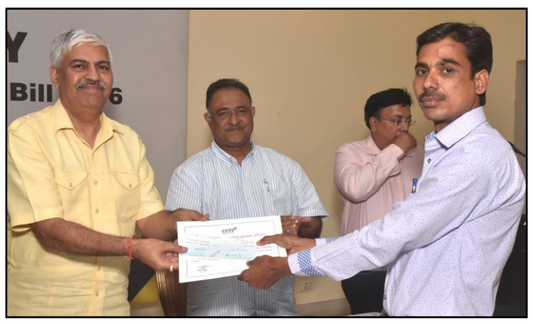

वर्ष 2015 में उन्होंने चयनित विषय 'स्वच्छ भारत अभियान' पर डेली न्यूज समाचार पत्र में बहुत सी स्टोरियां प्रकाशित कर एवं उनका फोलोअप करते हुए आमजन में जागरूकता लाने का प्रयास किया था।

मिट्टी की जांच में पकड़ी गई गड़बड़ी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी सॉयल हैल्थ कॉर्ड की योजना किसानों के साथ धोखा साबित होने जा रही है। प्रदेश में मिट्टी की जांच के नाम पर कई स्थानों पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। पिछले दिनों कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने टोंक और अजमेर जिले की कुछ प्रयोगशालाओं की जांच की तो यह सच्चाई सामने आई है। अब कृषि विभाग दोषियों पर कार्रवाई करने में जुटा है।

स्वस्थ धरा, खेत हरा

कृषि मंत्री ने बताया कि हमें 21 लाख जांच नमूने लेने हैं। प्रदेश में 102 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से 69 को निजी हाथों में दिया हुआ है। जिन निजी कंपनियों की प्रयोगशालाओं में गड़बड़ियां हुई हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सार्थक बनी अन्नपूर्णा रसोई योजना

वसुंधरा सरकार के तीन साल पूरे होने पर जयपुर सहित 12 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत इन शहरों में 80 वैनों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को पांच रुपए में नाश्ता व आठ रुपए में भरपेट खाना खिलाया जा रहा है।

योजना के सार्थक परिणामों को देखते हुए अब प्रदेश की सभी 190 स्थानीय निकायों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार योजना के संचालन में अब दानदाताओं से भी वित्तीय सहयोग ले रही है, ताकि जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्यप्रद व पोषणयुक्त भरपेट खाना उपलब्ध कराया जा सके।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा

इस साल 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार 2016 के लिए 'जल स्वावलंबन अभियान' विषय पर प्रविष्ठियाँ आमन्त्रित की गई थी। प्राप्त प्रविष्ठियों में से निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से सीकर जिले के पत्रकार चैतन्य कुमार मीणा को वर्ष 2016 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

चैतन्य कुमार मीणा सीकर जिले के अजीतगढ़ गांव के निवासी हैं तथा प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र दैनिक भास्कर के ग्रामीण संवाददाता हैं।

वर्ष 2016 में उनकी 'जल स्वावलंबन अभियान' पर अजीतगढ़ डेडलाइन से बहुत सी खबरें प्रकाशित हुई हैं। उन्हें दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का वितरण बाद में उचित समय पर किया जाएगा।

मानसून सर पर, अभियान धरा पर

प्रदेश में 16-17 जून के आस-पास मानसून की दस्तक हो जाती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान को मानसून आने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के दूसरे चरण को शुरू हुए चार महीने बीतने के बावजूद 20 प्रतिशत काम ही शुरू हुए हैं और केवल 10 प्रतिशत ही काम पूरे हुए हैं।

अभियान के दूसरे चरण में जन सहयोग की भी कमी नजर आ रही है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहले चरण से भी आगे बढ़कर काम करने होंगे। इस अभियान को 'जन क्रांति' का रूप देना होगा। यह तभी संभव है जब समाज का हर तबका कंधे से कंधा मिलाकर अभियान में सहयोग दें।

सूचना देने पर मिलेगा सम्मान

ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों के लिए बनाए आवासों में भ्रष्टाचार का खेल करने वाले अफसरों पर शिकंजा कसने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने मुखबिरों का सहारा लेने का निर्णय लिया है।

विभाग की वरियता सूची में शामिल लाभार्थियों की लिस्ट स्थानीय अखबारों में प्रकाशित होगी। इस लिस्ट में से कोई भी नागरिक अपात्र लाभार्थियों के नाम की सूचना विभाग या जिला कलेक्टर को दे सकता है।

जांच के बाद यदि सूचना सही पाई गई तो सूचना देने वाले को जिला कलेक्टर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से यथोचित सम्मान दिया जाएगा और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गांव बनेंगे स्मार्ट विलेज

ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री की स्मार्ट विलेज अवधारणा के अनुरूप इस साल तीन हजार से अधिक आबादी वाले 3 हजार 171 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा।

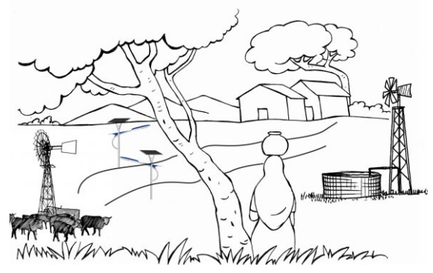

इन गांवों में शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही गांवों में दस लाख से ज्यादा भूमिहीन परिवारों को जमीन और पट्टे जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने राज्य विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि गांवों में आवासहीन पात्र परिवारों के लिए 6 लाख 75 हजार आवासों का निर्माण कराया जाएगा। पांच हजार गांवों में सामुदायिक शौचालय बनवाए जाएंगे।

बजट है खट्टा-मीठा

केंद्र सरकार का हो या राज्य का बजट हमेशा किसी के लिए खट्टा व किसी के लिए मीठा होता है। सरकारें बजट को अक्सर लोकलुभावना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लोगों को उनकी भलाई व विकास के अनेकों स्वप्न दिखाए जाते हैं। इसके बाद घोषित कई योजनाएं केवल कागजों में ही सिमट कर क्यों रह जाती है?

बुनियादी जरूरतों के लिए आवंटित बजट का काफी बड़ा हिस्सा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बचा रह जाता है। कई मदों में पैसा वित्तीय वर्ष के अंत में अनुपयोगी तरीकों से खर्च होता है। बजट का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भी भेंट चढ़ जाता है। इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाना, समयबद्ध रूप से योजनाओं का क्रियान्वन तथा समय-समय पर उनका पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन कराना आवश्यक है।

-हरीश शर्मा, लालसोट, दौसा

सस्ते इलाज के लिए बनेगा कानून

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिया है कि उनकी सरकार ऐसा कानून बनाएगी जिससे डॉक्टरों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाएं ही पर्ची पर लिखना अनिवार्य होगा। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से काफी सस्ती होती है और उतनी ही कारगर होती है जितनी कि महंगी ब्रांडेड दवाएं।

उन्होंने कहा कि सरकार 15 साल के अंतराल के बाद स्वास्थ्य नीति लाई है और 700 दवाओं को सस्ता किया है। दिल के मरीजों के लगने वाले स्टेट, जिसकी कीमत डेढ़ लाख रुपए थी, अब 20-22 हजार रुपए में उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा कई जरूरी दवाओं की कीमत भी कम कराने के लिए सरकार कदम उठा रही है।

अब भी घरों में हो रही डिलेवरी

प्रदेश में अभी भी ऐसे गांव-ढाणियां हैं जहां गर्भवती महिलाएं डिलेवरी के लिए अस्पताल नहीं आती हैं। कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछले पांच साल में औसतन एक लाख महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल का रुख नहीं कर रही है।

चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पांच साल में 67 लाख 3 हजार 450 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। इनमें से 5 लाख 8 हजार 23 महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल नहीं आई। उनके प्रसव घरों में ही अप्रशिक्षित दाइयों व रिस्तेदारों ने कराए। यह हालात चिकित्सा विभाग के तंत्र पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर